न्यायालय :— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

<u>बी0 पी0 नं0 :—374 / 2026</u>
उत्पन्न शंकरपुर थाना कांड संख्याः—14 / 2026

1. सोनु कुमार, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता—विनोद यादव
सा0—रायभीड़, वार्ड नं0 07, थाना—शंकरपुर, जिला—मधेपुरा
—आवेदक / अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

<u>जमानत आदेश</u>

<u>15—06—2026</u>

दिनांक—22.01.2026 से काराधीन आवेदक अभियुक्त 1.सोनु कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो शंकरपुर थाना कांड संख्याः—14 / 2026 अन्तर्गत धारा— 309(4) बि0एन0एस0 से संबंधित है तथा विद्वान अपर मुख्य न्या0 दण्डा0— प्रथम, मधेपुरा के न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत याचिका दि0—24.03.26 को खारिज करने के पश्चात् आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र भुषण कुमार द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिन्होने ऐसा कोई घटना कारित नही किया जैसा अभियोजन द्वारा उनके विरूद्ध कहा गया है। प्राथमिकी चार अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व दर्ज कराया गया है जो तीन मोटरसाइकिल पर सवार था। आवेदक को संदेह पर गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत तथा दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस की मिलीभगत से फंसाया गया है, क्योकि रायभीर में कई सोनू कुमार जैसे लडके रहते होंगे। आवेदक को सह अभियुक्त तथा आवेदक के स्वीकारोक्ति बयान पर अभियुक्त बनाया गया है तथा सरासर गलत है, ऐसा कोई पुलिस के समक्ष दिया स्वीकारोक्ति बयान दर्ज नही किया है। जबकि पुलिस ने धारा—164 के अंतर्गत आवेदक या अन्य सह अभियुक्तो का न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई बयान दर्ज नहीं करवाया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है और न ही उनके विरूद्व डायरी में कोई साक्ष्य आया है। आवेदक के पास से कथित राशि अथवा अन्य कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक के विरूद्व ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। अभियोजन द्वारा गलत तरीके से आवेदक को अभियुक्त बनाया जा रहा है। आवेदक को पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक दिनांक 22.01.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नही है और न्यायालय के सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.01.2026 को करीब 08 बजे सुबह मं बकरी खरीदने के लिए शंकरपुर थाना अंतर्गत ग्राम रायभीड छपरिया टोला में फुलो सिंह के घर के पास क बकरी वाले की बकरी खरीदने की बात हुई लकिन वहां दाम नहीं पटा तो आगे बढकर नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन से करीब 300 मीटर आगे बढे तो पीछे से एक उजला रंग का हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल पर जिसके बंफर में लाल काला रंग का रस्सी बंधा था और उसपर सवार लड़का दुबला पतला रंग गोरा था।

—लगातार

न्यायालय :— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :—374/2026

उत्पन्न शंकरपुर थाना कांड संख्या:—14/2026

लगातार
15—06—26

— ओवरटेक कर रोक लिया और दूसरा काला ब्लू रंग का पल्सर मोटरसाइकिल सवार लड़का सावला एवं छोटा कद साल पहने अपना गाड़ी को सटा दिया और दोनो उतरकर पल्सर वाला लड़का कमर से देशी कट्टा निकालकर मेरे गर्दन पर सटा दिया और एक्सट्रीम मोटरसाइकिल वाला लड़का गली देते हुए मारने की बात बोलकर सूचक के पोकेट से 30,000 रूपया निकाल लिया और मेरा कथ्थक रंग का पर्स जिसमें कुछ खुदरा पैसे, आधार कार्ड,पैन कार्ड, पहचान पत्र था वो भी ले लिया। जब सूचक विरोध करने लगा तो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल वाला लडका फोन करके और दो लड़का को बुला लिया जो काला रंग का स्पलेंडर मोटरसाइकिल से आया था और मुह पर कपडा बांधे हुआ थ। दोनो का उम्र करीब 18 से 23 वर्ष के बीच का था लप्पड—थप्पड से सूचक को मारने लगा। जब सूचक उसके पैर पर गिरकर रोने लगा तो पल्सर वाला लडका बोला कि सोनुआ इसको सौ—दो सौ रूपया दे दो तेल डला लेगा। उसके बाद एक्सट्रीम मोटरसाइकिल वाला लडका सूचक को 100 रूपया वापस दिया और बोला कि पीछे मत आना और किसी को बोला तो अगले बार पैसा लूटने के साथ साथ गोली भी मार देंगे। घटना के कम में अपराधी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सोनु और संजय एक दूसरे का नाम ले रहे थे। घटना के सभी पंचायत सरकार भवन के रास्ते वापस लौट गया। उसके बाद 112 पर फोन कर घटना के बार में जानकारी दिये तथा थाना पहुंचकर आवेदन दिया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा—309(4) वी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्ध हथियार का भय दिखाकर अन्य सह—अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पॉकेट से तीस हजार रूपया व पर्स जिसमें आधार कार्ड तथा अन्य कागजात थे, छीन लेने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा—02, मे वादी का बयान है जिसमे घटना का समर्थन किया गया है तथा पारा—79 मे सह—अभियुक्त सोनु कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें आवेदक की संलिप्तता भी बताई गई है। पारा—29 मे आवेदक का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमे इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। परंतु उपरोक्त तथ्यों के बावजूद आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नही हैं बल्कि केवल स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक दिनांक 22.01.26 से न्यायिक अभिरक्षा मे है। कोई टी0 आई0 परेड नही हुआ है। आवेदक के विरूद्ध आरोप गठन भी किया जा चुका है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000/—रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध—पत्र दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक वाद के सम्पूर्ण विचारण के दौरान आवेदक अपनी उचित पैरवी करते रहेंगे।

लेखापित
Satish Kumar
15.06.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0—2, मधेपुरा।